



राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग

क्रमांक : परीक्षा नियंत्रक / परीक्षा-2019 / प्रा.प्रशि. /

दिनांक:

प्रायोगिक प्रशिक्षण संबंधी सूचना

घूर्व में जारी विज्ञप्ति क्रमांक: 619-68 दिनांक 28.08.2018 के क्रम में सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध स्नातक (कला/विज्ञान) एवं स्नातकोत्तर (भूगोल) परीक्षा-2019 हेतु जिन स्वयंपाठी परीक्षार्थियों ने अभी तक प्रायोगिक विषय का प्रशिक्षण नहीं लिया है ऐसे सभी सातों जिलों के वंचित परीक्षार्थी पूर्व निर्धारित महाविद्यालयों में प्रायोगिक प्रशिक्षण शुल्क के अतिरिक्त रु. 500/- (प्रति विषय) विलम्ब शुल्क सहित निर्धारित प्रोफॉर्मा के साथ दिनांक 10.12.2018 तक शुल्क जमा करा सकते हैं।

परीक्षार्थी जमा शुल्क की रसीद संबंधित प्रशिक्षण केन्द्र से आवश्यक रूप से लें तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क एवं विलम्ब शुल्क के अतिरिक्त अन्य राशि किसी भी रिस्थिति में नहीं दें।

नोट:- विलम्ब शुल्क द्वारा पंजीकृत परीक्षार्थियों का प्रशिक्षण संबंधित महाविद्यालय द्वारा

दिनांक 03.01.2019 तक आयोजित करवाना होगा।

५१।—

परीक्षा नियंत्रक

क्रमांक : परीक्षा नियंत्रक / परीक्षा-2019 / प्रा.प्रशि. / ५६१-७२ दिनांक: ५/१/१८

प्रतिनियंत्रित निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित प्राचार्य/प्राचार्या, संघठक/संम्बद्ध महाविद्यालय एवं विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि:-
 (अ) निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम की तिथियों, परीक्षा तिथि की सूचना एवं पंजीकृत परीक्षार्थियों की कक्षावार सूची उप कुलसचिव (गोपनीय), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को यथाशीघ्र पत्र द्वारा अवगत कराने का श्रम करें।
 (ब) विश्वविद्यालय के संघठक महाविद्यालय एवं विभाग प्रशिक्षण शुल्क की 40 प्रतिशत राशि एवं संम्बद्ध महाविद्यालय 20 प्रतिशत राशि तथा विलम्ब शुल्क की पूर्ण राशि विश्वविद्यालय में बैंक ड्राफ्ट द्वारा जो कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के नाम देय हो, को प्राप्त शुल्क के विवरण सहित दिनांक 17.12.2018 तक अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में जमा करवाने का श्रम करें।
2. वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, कुलपति/कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- ✓ 4. निदेशक, इन्फोनेट सेंटर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रसारित करवाने का श्रम करें।
5. निदेशक, छात्र सूचना एवं सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. जनसम्पर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. उप कुलसचिव, परीक्षा गोपनीय एवं यू.एम. शाखा, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि निर्धारित प्रशिक्षण केन्द्रों से प्रशिक्षण तिथि प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करें।
8. सहायक कुलसचिव (परीक्षा गोपनीय / यू.एम./संचालन शाखा), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. समस्त अनुभाग अधिकारी (परीक्षा गोपनीय / यू.एम./संचालन शाखा), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
10. अनुभाग अधिकारी, पत्र प्राप्ति शाखा, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
11. प्रभारी, छात्र सूचना केन्द्र (SSIC), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

५१।—
१५/१/१८
परीक्षा नियंत्रक